UPET010059382022

<u>न्यायालयः: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), एटा।</u>

उपस्थितः अली रजा, 'उच्चतर न्यायिक सेवा'
(J.O CODE-6011)

<u>सेशन वाद संख्या-1271 सन् 2017</u>

राज्य———बनाम———अजीत.

धारा 135 विद्युत अधिनियम
अ0सं0-915/2020
थाना- एंटी पावर थेफ्ट, जिला एटा।

<u>09.08.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसने विद्युत विभाग का समस्त बकाया राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। अतः अभियुक्त को उक्त वाद की कार्यवाही से निर्मुक्त कर दिया जाये।

उपरोक्त के सम्बंध में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एटा से आख्या तलब की गयी। **कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड नगरीय, एटा** से प्राप्त आख्या दिनांकित 08.06.2023 के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **राजस्व निर्धारण मुव0-31962/-रूपये** दिनांक 03.06.2023 एवं **शमन शुल्क मुव0-2,000/-रूपये** दिनांक 03.06.2023 को जमा कर दिया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा इस प्रकरण में विद्युत विभाग का समस्त बकाया राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। इसी आशय का कथन अभियोजन की ओर से विद्युत विभाग के पैनल अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार शर्मा द्वारा भी किया गया है।

<u>विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 152 (2) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बंध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियॉ संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएंगी।</u>

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा **दिनांक 07.12.2022** को प्रसंज्ञान लिया गया। चूँकि प्रस्तुत मामलें में विद्युत विभाग की आख्या के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त पर विभाग

का कोई देय बकाया नहीं है एवं मामला शमन भी हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 09.08.2023

(अली रजा)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), एटा

Digitally signed by Ali Raja
Date: 2023.08.09 17:42:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court